46 N ②

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 30/03/2011

वर्ग 1 बैठक का दिनांक 08/04/2011 विभाग का नाम पंचायत और ग्रामीण विकास

विषयः- बैंक द्वारा श्रमिकों का भुगतान ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 3895) श्री शंकर लाल तिवारी

क्या सामाजिक न्याय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश अंतर्गत 30 नम्बर 2008 के पश्चात बैंक खाते के माध्यम से श्रमिकों को मजदूरी भुगतान किये जाने का प्रावधान है क्या यह भी सही है कि सतना जिले अंतर्गत जनपद पंचायत उचेहरा में परसमनिया पठार क्षेत्र की ग्राम पंचायतें परसमनिया,देवगुना,सखौदा खुर्द, तिघरा पाठा, बिचवा, महाराजपुर,गुढ़वा, गडौत, पटिहट, एवं पुरैना में मजदूरों को नगद मजदूरी भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उचेहरा के तत्कालीन सचिव ने पत्र क्रमांक 896 दिनांक 20.07.2010 द्वारा ग्राम पंचायत परसमनिया को बैंक में मजदूरों के खाता खोलने के निर्देश दिये थे तथा दिनांक 30.8.2010 को जिला पंचायत को सूचित किया था कि श्रमिकों के खाते खोल दिये गये है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि शारदा ग्रामीण बैंक परसमनिया द्वारा 6/7 अगस्त 2010 को 52 खाते 9 अगस्त 2010 को 53 खाते, 10 अगस्त 2010 को 21 खाते, 11 अगस्त 2010 को 54 खाते एवं 12 अगस्त 2010 को 11 खाते खोले गये है ?

(घ) क्या प्रश्नांश क.ख एवं ग सही है तो जनपद पंचायत उचेहरा के तत्कालीन सी.ई.ओ सहायक परियोजना अधिकारी,सरपंचों एवं सचिवों पर शासन के निर्देशों का पालन न करने का दोषी मानते हुये कठोर दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ?

(ङ) जिला पंचायत सतना में पदस्थ कमल सिंह मरकाम एवं उनके पूरे परिवार के नाम से फर्जी मजदूरी आहरण करने पर सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत परसमनिया उचेहरा के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण थाने में कब तक पंजीबद्ध करा दिया जायेगा ?

स्वीकृत

म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
(म.प्र शासन, पचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
5^ सी–विंग नर्मदा भवन द्वितीय तल अरेरा हिल्स भोपाल

St-02/P-16

पृ क्रमांक 2994/वि स/एनआर-11/2011 भोपाल, दिनांक 19/03/2011

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. सतना .... म.प्र. की ओर विधानसभा प्रश्न की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रश्न का उत्तर दिनांक 24/03/2011 तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को 10 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. आयुक्त रीवा .... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.
3. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सहायक यंत्री श्री जे.पी.गुप्ता (जन.शि.निग.) परिषद मुख्यालय भोपाल।

(प्रद्युम्न [illegible])
संचालक
जन.शि.एवंगुण नि.प्रको.
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल
कार्या फोन नं 0755–2551489 फैक्स 2550094

19/3/2011